न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 281/2016

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बन्ता सिंह
2. अमर सिंह
3. ज्ञान सिंह

पिसरान भान सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 पी बी एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 22.08.2014, 28.08.2014

प्रकरण संख्या 3/2014

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितिः–

श्री के. एस. खोसा, राजकीय अधिवक्ता

श्री मदन लाल पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3

निर्णय दिनांक 12.11.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य [illegible] प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना [illegible] अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान सरकार [illegible] क्रमांक प–6[illegible]–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के अनुसार भूमिहीन प्रार्थीगण [illegible]राजी राज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि का कब्जा नियमन एवं पुख्ता आवंटन करने के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता भान सिंह को चक 24 पी बी एन के पत्थर नम्बर 22/332 के किला नम्बर 1 से 10 की 2.336 हैक्टेयर भूमि 1965 को आवंटित होकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित हुई। जिस पर 1965 से पिता का लगातार कब्जा काश्त रहा। सन् 1990 में उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश से आराजी राज दर्ज कर दी। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त 12.06.1982 को हो चुका है। पिता की मृत्यु के पश्चात लगातार कब्जा काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा है। प्रार्थीगण की माता का भी देहान्त हो चुका है। पिता की मृत्यु के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा भूमि रकबा राज करने के विरूद्ध प्रार्थीगण ने सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 23.08.1993 को अदम हाजरी में खारिज कर दी जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 24.04.2004 को सम्भागीय आयुंक्त बीकानेर द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो दिनांक 20.06.2012 को खारिज कर दी। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का 1982 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है। प्रार्थीगण इस भूमि पर अपना कब्जा नियमन करवाने व पुख्ता आवंटन करवाने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि का कब्जा नियमन कर प्रार्थीगण को उक्त आवंटन किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.08.2014 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि के नियमन का पात्र माना गया। तत्पश्चात् पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश होने पर दिनांक 28.08.2014 को डी एलसी की दर से नियमन/ पुख्ता आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा यह अपील पेश की है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट के पिता की गैर खातेदारी की भूमि थी जो आवंटन खारिज होने के पश्चात् संभाागीय आयुक्त एवं राजस्व मण्डल द्वारा अपीलांट की अपीलें खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 20.06.2012 अन्तिम हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवंटन ही खारिज हो चुका है तो उसे पुनः रेस्पोडेंट आवंटन करवाने के अधिकारी नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 20.06.2012 आज भी प्रभावी है जो अन्तिम हो चुका है। अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात् पत्रावली विधि परीक्षण हेतु जिला कलैक्टर को प्रेषित की गई जहां से अपीलाधीन आदेश की अपील करने के आदेश होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर हे। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की उपस्थिति में पारित किया गया है एवं रेस्पोडेंट को आवंटन का पात्र मानते हुए पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश की गई जिसकी राय से नियमन/ आवंटन किया गया है। [illegible] समुचित कारण अंकित नहीं किये गये हैं। रेस्पोडेंट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खारिज किये जाने योग्य है। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने आर आर डी 1987 पेज 179, आर आर डी 1984 पेज 446, आर आर टी 2021(1) पेज 336 की नजीरें पेश की। साथ ही कथन किया कि अपीलांट द्वारा दो अपीलों की अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है इस संबंध में 2021(1) आर आर टी 628 की नजीर पेश की। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि खातेदारी सनद जारी होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आर आर डी 1997 पेज 164 की नजीर पेश की।

6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.08.2014 व 28.08.2014 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो कथन किये है उसका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर किया गया है। चूंकि यह अपील राज्य सरकार द्वारा पेश की गई है। इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है एवं अपीलांट द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया था एवं जिसकी अपीलें भी सम्भागीय आयुक्त एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की जा चुकी है। जब अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन ही खारिज हो चुका हैएवं उसकी अपीलें भी खारिज हो चुकी है जो स्वयं अपीलांट द्वारा स्वीकार की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में जो नियमन / आवंटन जारी किया गया है वो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। यदि कोई आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाता है तो उसमें मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है एवं क्षेत्राधिकार/कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना पारित आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उसमें मियाद के बिन्दु पर उदारता का रूख अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है इस बाबत् कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण/ रेस्पोडेंट के पिता भान सिंह को आवंटन होकर गैर खातेदारी अंकित थी जिसका आवंटन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा वर्ष 1990 में खारिज कर रकबा राज दर्ज कर दिया था जिसकी अपील संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा खारिज कर दी। संभागीय आयुक्त बीकानेर के आदेश 24.03.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 20.06.2012 को खारिज कर दी। आदेश दिनांक 20.06.2012 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो ऐसा कथन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश दिनांक 20.06.2012 अन्तिम हो चुका है। ये सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के पक्ष में नियमन / आवंटन करने के आदेश दिये हैं जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2014 व 28.08.2014 निरस्त किया जाता है एवं विवादित भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 12.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:47 IST
Reason: SelfAttested

12/XI/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़